न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 54/2023 दायर दिनांक 22.03.2023

वादी		प्रतिवादी
1. अयूब खां मलवान पुत्र नब्बू खां मलवान जाति कायमखानी निवासी चौलूखां तहसील मौलासर जिला डीडवाना– कुचामन राज0।	बनाम	2. तहसीलदार डीडवाना।

राजस्व–वाद बाबत

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

श्री रिछपाल एडवोकेट वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनांक 25.02.2025

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम चौलूखां के खेत खसरा सं0 1 रकबा 14.690है. व खसरा संख्या 546/5 रकबा 0.3224 हैक्टे0 बारानी 1 भूमि वादी के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की स्थित है। उक्त भूमि में सहवन से वादी का नाम याकूब खां पुत्र नब्बू खां दर्ज है जबकि वादी का सही नाम अयूब खां पुत्र नब्बू खां है। इसी प्रकार जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, पासपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजों में भी वादी का नाम अयूब खां पुत्र नब्बू खां है। सहवन से खतौनी में वादी का नाम अयूब खां के स्थान पर याकूब खां दर्ज हो गया है जिसको दूरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं प्रार्थनीय है।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार हैः–

राजस्व ग्राम चौलूखां के खेत खसरा सं0 1 रकबा व खसरा संख्या 546/5 में याकूब खां पुत्र नब्बू खां के स्थान पर अयूब खां पुत्र नब्बू खा खातेदारी में इन्द्राज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किया जाने का आदेश सादर फरमावें। तथा इसी अनुरुप राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर अयूब खां पुत्र नब्बू खां के नाम से खातेदारी इन्द्राज किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मौलासर के पत्र क्रमांक/राजस्व/2024/1219 दिनांक 25.08.2023 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया सरहद चौलूखां के खेत खसरा सं0 1 रकबा व खसरा संख्या 546/5 में वादी अपना नाम याकूब खां पुत्र नब्बू खां के स्थान पर अयूब खां पुत्र [illegible] कर रहा है। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार सरहद [illegible] के खसरा संख्या 01 रकबा 14.6900 है व खसरा संख्या 546/[illegible] 0.3224 है में याकूब खां नब्बू खां जाति [illegible] दर्ज है। उक्त खातेदारी जरिये [illegible] सं0 85 दिनांक 30.06.1979 के द्वारा दर्ज हुआ है। उक्त नामान्तरकरण में नाम याकूब खां पुत्र

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 13:25:36 IST
Reason: SelfAttested

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

नब्बू खां दर्ज हुआ है जबकि वादी गलत अंकन होने का कथन कर रहा है। वादी के कथन व साक्ष्यों में भिन्नता है इस कारण वादी किसी प्रकार की इस्तदुआ प्राप्त करने का अधिकारी नही है। तहसीलदार मौलासर की रिपोर्ट के अनुसार रेकर्ड का अंकन विक्रय पत्र के आधार पर हुआ है। वादी के पास विक्रय पत्र को संसोधन करवाने का वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है। विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रेकर्ड में गलत अंकन होने के कारण वादी के गलत अंकन होने के कथन को स्वीकार नही किया जा सकता है। अतः वाद विवेचन, वादी का हस्तगत वाद खारिज किया जाता है।

–:: आदेश ::–

सरहद चौलूखां के खेत खसरा सं0 1 व खसरा संख्या 546/5 में वादी याकूब खां पुत्र नब्बू खां के स्थान पर अयुब खां पुत्र नब्बू खां दुरूस्ती बाबत वादी का हस्तगत वाद खारिज किया जाता है।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 25.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 13:25:36 IST
Reason: SelfAttested